



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47020

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3199 वर्ष 2026

रामानंद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: मंजू लता वर्मा, राम सुमेर चौधरी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. चौधरी तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याची का अभ्यावेदन यह है कि वह श्रीमती राम मूर्ति के पति हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थीं तथा जिनका दिनांक 31.12.2019 को निधन हो गया। याची द्वारा पेंशन प्राप्त करने का दावा किया गया है।
3. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 4, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हमीरपुर, जनपद हमीरपुर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए एक समग्र अभ्यावेदन दिनांक **27.03.2026** तक प्रत्यर्थी संख्या 4, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हमीरपुर, जनपद हमीरपुर के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 4 याची के दावे का निस्तारण दो माह की अवधि के भीतर करेंगे।

दिनांक : 09 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।